भा॰ स॰
संख्या–117/पांच–5–2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शसन

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ : दिनांक :: **12** मई, 2021

विषय–आयातित दवा टोसीलीजुमाब (Tocilizumab) को मण्डलीय आयुक्त एवं अपर निदेशक, स्वास्थ्य के निवर्तन पर रखने के संबंध में।

महोदय,

भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–F.No.X.11035/110/2021-DRS(pt) दिनांक–11 मई, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को आयातित दवा Tocilizumab की 2420 यूनिट्स का नया आवंटन किया गया है। इस बार यह दवा 80 मिलीग्राम के वायल में उपलब्ध करायी जा रही है। यह मात्रा राज्य सरकार के निवर्तन पर सिपला लि0 के डिपो पर उपलब्ध है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा कुल 2400 यूनिटस् को संलग्न तालिका के अनुसार संबंधित मण्डलायुक्तों एवं अपर निदेशक, स्वास्थ्य के निवर्तन पर रखने का निर्णय लिया है। यह आवंटन पूर्व के आवंटित Tocilizumab के अतिरिक्त हैं। इस दवा की अत्यन्त सीमित मात्रा उपलब्ध हुई है अतः भारत सरकार द्वारा इसका प्रयोग अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं पूर्णतः भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त मानिटरिंग ग्रुप द्वारा निर्धारित standard treatment protocol के अनुसार करने हेतु निर्देशित किया गया है।

3– इस दवा का प्रयोग L-3 स्तर के चिकित्सालयों में ही अपेक्षित है, अतः किसी मरीज़ के लिये Tocilizumab की आवश्यकता प्रतीत होने पर संबंधित चिकित्सालय की prescription पर संबंधित मरीज़ के परिचर द्वारा मण्डलायुक्त/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 के पास इस दवा को संबंधित चिकित्सालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जायेगा। मण्डलायुक्त द्वारा बिना विलम्ब के अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 से परामर्श कर अपनी संस्तुति सिपला लि0 के नोडल अधिकारी को प्रेषित की जायेगी। सिपला के नोडल अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त की संस्तुति प्राप्त होते ही इस दवा को संबंधित चिकित्सालय/मरीज को उपलब्ध कराया जायेगा। सम्बद्ध मण्डलों के लिये भी यह कार्यवाही उन मण्डलायुक्तों द्वारा की जायेगी जिनके निवर्तन पर दवा उपलब्ध कराई गई है।

4– Tocilizumab दवा की शेष 20 यूनिट्स की मात्रा राज्य स्तर पर शासन के निवर्तन पर रखी जाती है, तथा उपलब्ध मात्रा के समाप्त होने पर संबंधित मण्डलायुक्त, राज्य स्तर पर रखी गई मात्रा से आवंटन नोडल अधिकारी श्री रविन्द्र, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन से माँग सकते हैं।

5– जनपद के जिन एल–2 अस्पतालों में Invasive Ventilation की व्यवस्था है, उन अस्पतालों से मांग आने पर तथा मण्डलायुक्त/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त कि इन अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध है, ऐसे एल–2 अस्पतालों के मरीजों को भी Tocilizumab प्रदान कर सकते हैं।

6– कृपया सभी संबंधित ध्यान दे कि इस बार प्रति वायल 80 मिलीग्राम का है। इसी प्रकार इसके आवंटन के समय इसका ध्यान रखा जायें।

कृपया Tocilizumab के उत्तर प्रदेश राज्य के आवंटन पर तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
12.5.21
(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

go pankaj com-3

संख्या–भा0स0–117 (1)/पांच–5–2021, तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
(3) श्री जर्टिन ज्योर्ज, सिपला लिमिटेड, मुम्बई को इस अनुरोध के साथ कि सिपला लि0 की ओर से मण्डलायुक्तों एवं राज्य सरकार से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी का विवरण व सम्पर्क सूत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार चौहान)
अनु सचिव।

क्रमांक	मण्डल जिनके निवर्तन पर	आवंटित मात्रा (80 मिलीग्राम वायल)	अन्य सम्बद्ध मण्डल
1	मुरादाबाद	200	सहारनपुर, अलीगढ़
2	मेरठ	550	आगरा
3	बरेली	100	—
4	कानपुर	350	झांसी, चित्रकूटधाम
5	लखनऊ	500	देवीपाटन
6	गोरखपुर	250	बस्ती, अयोध्या
7	वाराणसी	250	मिर्जापुर, आज़मगढ़
8	प्रयागराज	200	—
कुल		**2400**	